NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 297/NCRES/ 19

दिनांक 21.11.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– नार्थ सेन्ट्रल रेलवे की रेलवे कालोनियों में फागिंग मशीन से नियमित छिड़काव हेतु।

सन्दर्भः– (1) NCRES PNM मद संख्या 24/05/2018
(2) NCRES पत्र संख्या 277/NCRES/19 दिनांक 21/10/2019
(3) प्रधान कार्यालय का पत्र सं. 10–मेड/NCRES/विविध दिनांक 04.11.2019

महोदय,

NCRES को अवगत कराना है कि प्रधान कार्यालय का पत्र दिनांक 04.11.2019 सही तथ्यों पर आधारित नही है, इसलिये अनुरोध है कि निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाय।

NCRES को बताना है कि प्रतिवर्ष डेंगू या अन्य महामारी फैलने पर सम्बन्धित नगर निगम द्वारा रेलवे कालोनियों को छोड़कर अन्य जगहों पर बड़ी फागिंग मशीन से फागिंग कराया जाता है, जबकि रेल प्रशासन द्वारा तीनों मण्डलों में पिक व चूज के तहत कुछ कर्मचारियों के आवास में फिनिट मशीन अथवा छोटी स्प्रिंक्लर मशीन से तरल दवाओं का छिड़काव कराया जाता है।

यह भी अवगत कराना है कि पी.एन.एम. बैठक में उपरोक्त मद सं. 24/5/2018 पर चर्चा के दौरान यह सहमति भी बनी थी कि एक बड़ी फागिंग मशीन का एम.एण्ड.पी. प्रोग्राम में प्रपोजल भेज कर खरीदा जाएगा और उसका इस्तेमाल रेलवे कालोनियों में छिड़काव के लिये नियमित रूप से किया जायेगा जिससे रेल कालोनियों में रहने वालो को मच्छरों के प्रकोप से बचाया जा सके और यह भी आश्वस्त किया गया था कि जब तक मशीन नही आयेगी तब तक किराये की फागिंग मशीन के द्वारा फागिंग कराया जायेगा।

खेद के साथ अवगत कराना है कि PNM बैठक में चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासन के बाद भी किराये पर फागिंग मशीन मंगाकर कालोनियों में छिड़काव नही किया गया जिसके कारण रेलवे अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इसके कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है।

NCRES पुनः मांग करता है कि इलाहाबाद, झांसी और आगरा मण्डल की रेलवे कालोनियों में नियमित रूप से फागिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव करना सुनिश्चित किया जाय ताकि रेल कर्मचारियों को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों से बचाया जा सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री